



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024

अग्रहायण 25, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

सं० यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली-007

लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे सक्षम करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (निर्बाध उपगम के निबंधन और शर्तों) विनियमावली, 2019, (जिसे आगे "मूल विनियमावली" कहा गया है) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- 1.1 इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (निर्बाध उपगम के निबंधन और शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2024 कहा जाएगा।
- 1.2 यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 2 में संशोधन:

- 2.1 शब्द "नियमावली" को मूल विनियमावली के विनियम 2.1 में दो स्थानों पर "विनियमावली" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2.2 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ख) में "द्विपक्षीय संव्यवहार" का तात्पर्य है" शब्दों को "अल्पकालिक निर्बाध उपगम साधनों के संदर्भ में" "द्विपक्षीय संव्यवहार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2.3 एक नया खंड, अर्थात्, खंड (ग-1) मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ग) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:
"(ग-1) हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के लिए "केन्द्रीय नोडल अभिकरण" या "सीएनए" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय नोडल अभिकरण से है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकल गवाक्ष हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम प्रणाली की स्थापना और संचालन करता है;"
- 2.4 एक नया खंड, अर्थात्, खंड (ड-1) मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ड) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:
"(ड-1) किसी समय-खंड में "विचलन" का वही तात्पर्य होगा जो सीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमावली, 2022 ("सीईआरसी डीएसएम विनियम") के तहत परिभाषित किया गया है;
- 2.5 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 का खंड (छ) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(छ) “ऊर्जा लेखा” का तात्पर्य राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा सभी अंतर्क्रियाबिंदुओं (अर्थात् उत्पादन - संचरण / वितरण, संचरण - वितरण और संचरण / वितरण - निर्बाध उपगम उपभोक्ता) पर तैयार किया गया ऊर्जा लेखा(एं) है और इसमें वितरण प्रणालि(यों) के साथ या उसके बिना संचरण प्रणालि(यों) के उपयोग के मामले में डीएसएम लेखा(ओं), प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार लेखा(ओं) और आयोग द्वारा अधिसूचित कोई अन्य लेखाओं, जैसा भी लागू हो, शामिल होगा:

परन्तु यह कि वितरण लाइसेंसधारी को ऐसा लेखा(एं) तैयार करने होंगे, यदि अतःक्षेपण और निकासी दोनों बिंदु संचरण प्रणाली के उपयोग के बिना केवल उसकी वितरण प्रणाली के भीतर स्थित हों;”

2.6 तीन नए उप-खंडों, अर्थात्, खंड (छ-i), खंड (छ-ii) और खंड (छ-iii) को मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (छ) के बाद नीचे बताए अनुसार जोड़ा जाएगा:

“(छ-i) “हरित ऊर्जा” / “नवीकरणीय ऊर्जा” का तात्पर्य है जलविद्युत और भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है) या किसी अन्य प्रौद्योगिकी/स्रोत सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है और इसमें हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई भी तंत्र भी शामिल होगा;”

“(छ-ii) “हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम” या “जीईओए” का तात्पर्य है सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार/स्वीकृत भार वाले हरित ऊर्जा उपभोक्ता(ओं) के लिए एकल कनेक्शन के माध्यम से निर्बाध उपगम या सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक के समेकित अनुबंधित भार/स्वीकृत भार वाले हरित ऊर्जा उपभोक्ता(ओं) के लिए किसी वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित एक ही नाम में एक ही खुदरा श्रेणी वाले एक प्रमुख जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से निर्बाध उपगम, इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी/परिचालन अपेक्षा की पूर्ति और यूपीईजीसी/आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों के अधीन और अभिव्यक्ति “हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम वाले उपभोक्ता(ओं)” या “जीईओए उपभोक्ता(ओं)” का तदनुसार तात्पर्य लगाया जाएगा:

परन्तु यह कि किसी वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित सौ (100) किलोवाट से कम अनुबंधित भार/स्वीकृत भार वाले कई कनेक्शनों के मामले में, जिनका कुल अनुबंधित भार/स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक लेकिन दो सौ (200) किलोवाट से अधिक नहीं है, लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से ऐसे हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम का लाभ उठाने के लिए एक ही नाम के तहत एक ही खुदरा श्रेणी का कोई प्रतिबंध नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि हरित ऊर्जा का लाभ उठाने वाले वशवर्ती प्रयोक्ता के मामले में, ऐसी कोई भार सीमा नहीं होगी और यह यूपीईजीसी/आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों की पूर्ति के अधीन होगी और ऐसा निर्बाध उपगम इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी/परिचालन अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन होगा:

परन्तु यह भी कि विद्युत खंड के आधार पर उपर्युक्त लाइसेंस क्षेत्र प्रतिबंध पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं पर ही लागू होगा तथा अन्य सभी वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सुविधित वाला क्षेत्र सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र होगा;”

“(छ-iii) “जीईओए नियम” का तात्पर्य है विद्युत (हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) विनियमावली, 2022 और उसके संशोधन;”

2.7 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 का खंड (ज) हटा दिया जाएगा।

2.8 एक नया खंड, अर्थात्, खंड (ज-i) मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ज) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(ज-i) “अग्रणी जीईओए उपभोक्ता” का तात्पर्य जीईओए उपभोक्ताओं के बीच नामित अधिकृत प्रतिनिधि से है जो इन विनियमावली के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित कई कनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार / स्वीकृत समग्रभार को हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम प्राप्त करने के मामले में उनकी ओर से समन्वय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।;”

2.9 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड(झ) के अंत में शब्द “किन्तु 25 वर्ष से अधिक नहीं” जोड़े जाएंगे।

2.10 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ञ) में “3 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं” शब्दों को “11 महीने से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.11 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ड), खंड (त) और खंड (थ) हटा दिए जाएंगे।

2.12 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) में चार नए प्रावधानों को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि जिनजीईओए उपभोक्ता(ओं) ने इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी / परिचालन अपेक्षाओं की पूर्ति और यूपीईजीसी / आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों के अधीन एकल कनेक्शन के माध्यम से सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक का अनुबंधित भार/स्वीकृत भार या एक प्रमुख जीईओए उपभोक्ता के

माध्यम से वितरण लाइसेंसधारी के एक ही बिजली खंड में स्थित एक ही नाम में एक ही खुदरा श्रेणी वाले कई कनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक का समेकित अनुबंधित भार/स्वीकृत भार प्राप्त किया हो:

परन्तु यह कि किसी वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित सौ (100) किलोवाट से कम अनुबंधित भार/स्वीकृत भार वाले कई कनेक्शनों के मामले में, जिनका कुल अनुबंधित भार/स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक लेकिन दो सौ (200) किलोवाट से अधिक नहीं है, लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से ऐसे हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम का लाभ उठाने के लिए एक ही नाम के तहत एक ही खुदरा श्रेणी का कोई प्रतिबंध नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि हरित ऊर्जा का लाभ उठाने वाले वशवर्ती प्रयोक्ता के मामले में, ऐसी कोई भार सीमा नहीं होगी और यह यूपीईजीसी/आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों की पूर्ति के अधीन होगी और ऐसी निर्बाध उपगम इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी/परिचालन अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन होगी:

परन्तु यह भी कि विद्युत खंड के आधार पर उपर्युक्त लाइसेंस क्षेत्र प्रतिबंध पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं पर ही लागू होगा तथा अन्य सभी वितरण लाइसेंसधारियों के लिए विवेचित क्षेत्र सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र होगा।”

2.13 मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (ण) में शब्दों “(हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम सहित)” को “वह व्यक्ति जो निर्बाध उपगम के माध्यम से बिजली का उपभोग करता है” के बाद और “किसी व्यक्ति से” शब्दों से पहले जोड़ा जाएगा।

2.14 “3 महीने” शब्दों को मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (द) में “11 महीने” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.15 दो नए खंडों, अर्थात्, खंड (फ) और खंड (ब) को मूल विनियमावली के विनियम 2.4 के खंड (प) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(फ) “यूपीएसएलडीसी रजिस्ट्री” या “यूपीएसएलडीसी-आर” का तात्पर्य इन विनियमावली की अनुसूची-ख के विनियम 1क के अंतर्गत निर्दिष्ट रजिस्ट्री से है;

“(ब) “यूपीएसटीयू रजिस्ट्री” या “यूपीएसटीयू-आर” का तात्पर्य इन विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 1क के अंतर्गत निर्दिष्ट रजिस्ट्री से है;

2.16 शब्द “नियमावली” को मूल विनियमावली के विनियम 2.5 में दो स्थानों पर “विनियमावली” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियमावली के विनियम 4 में संशोधन:

3.1 मूल विनियमावली के विनियम 4.2 में “5 वर्ष से अधिक” शब्दों को “5 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से अधिक नहीं” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3.2 मूल विनियमावली के विनियम 4.3 में “3 महीने से अधिक तथा 5 वर्ष तक” शब्दों को “11 महीने से अधिक तथा 3 वर्ष तक” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3.3 मूल विनियमावली के विनियम 4.4 में “3 महीने” शब्दों को “11 महीने” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. मूल विनियमावली के विनियम 7 में संशोधन:

4.1 मूल विनियमावली के विनियम 7.1 में तथा विनियम 7.3 के खंड (ग) में चार नए प्रावधानों को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि जीईओए उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) ने इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी / परिचालन अपेक्षाओं की पूर्ति और यूपीईजीसी / आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों के अधीन एकल कनेक्शन के माध्यम से सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक का अनुबंधित भार / स्वीकृत भार या एक प्रमुख जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से वितरण लाइसेंसधारी के एक ही बिजली डिवीज़न में स्थित एक ही नाम में एक ही खुदरा श्रेणी वाले कई कनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक का समेकित अनुबंधित भार/स्वीकृत भार प्राप्त किया हो:

परन्तु यह कि किसी वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत खंड में स्थित सौ (100) किलोवाट से कम अनुबंधित भार/स्वीकृत भार वाले कई कनेक्शनों के मामले में, जिनका कुल अनुबंधित भार/स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट और उससे अधिक लेकिन दो सौ (200) किलोवाट से अधिक नहीं है, लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से ऐसे हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम का लाभ उठाने के लिए एक ही नाम के तहत एक ही खुदरा श्रेणी का कोई प्रतिबंध नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि हरित ऊर्जा का लाभ उठाने वाले वशवर्ती प्रयोक्ता के मामले में, ऐसी कोई भार सीमा नहीं होगी और यह यूपीईजीसी/आईईजीसी के अनुसार वियोजनवाली अधियाचनाओं और अनुसूचियों की पूर्ति के अधीन होगी और ऐसी निर्बाध उपगम इन विनियमावली में निर्दिष्ट तकनीकी/परिचालन अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन होगी:

परन्तु यह भी कि विद्युत खंड के आधार पर उपर्युक्त लाइसेंस क्षेत्र प्रतिबंध पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं पर ही लागू होगा तथा अन्य सभी वितरण लाइसेंसधारियों के लिए विवेचित क्षेत्र सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र होगा।”

4.2 मूल विनियमावली के विनियम 7.3 के प्रथमपरंतुक में दो स्थानों पर "अन्य प्रभार" शब्दों को "अन्य शुल्क और प्रभार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.3 विनियम 7.3 के प्रथम परंतुक के बाद निम्नानुसार दो नए प्रावधान जोड़े जाएंगे:

"परंतु यह भी कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली की आपूर्ति जीईओए उपभोक्ता को किए जाने की स्थिति में प्रति-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा:

परंतु यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो प्रति-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा:"

4.4 मूल विनियमावली के विनियम 7.3 के चतुर्थ परंतुक में "1 मेगावाट या उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ता" शब्दों को "निर्बाध उपगम उपभोक्ता" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.5 मूल विनियमावली के विनियम 7.3 का सप्तम परंतुक नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परन्तु यह कि निर्बाध उपगम प्रदान करने से पहले, उपभोक्ता को यूपीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को संयोजकता प्रदान करना) विनियम, 2010 के अनुसार संयोजन समझौता करना होगा, जबकि ऐसे उपभोक्ता के मामले में जो वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली से जुड़ा है, संयोजन समझौता, वितरण लाइसेंसधारी के परामर्श से उपयुक्त संशोधन को शामिल करते हुए, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ वर्तमान प्रतिमान संयोजन समझौते के अनुरूप, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए:"

4.6 मूल विनियमावली का विनियम 7.2 नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले निर्बाध उपगम उपभोक्ता के मामले में, निर्बाध उपगम और वितरण लाइसेंसधारी से कुल निकासी आपूर्ति संहिता के तहत निर्दिष्ट वोल्टेज स्तर के लिए लागू निकासी की अधिकतम सीमा तक सीमित होगी, जिससे निर्बाध उपगम उपभोक्ता जुड़ा हुआ है। ऐसी अधिकतम सीमा के किसी भी उल्लंघन के मामले में नोडल अभिकरण द्वारा उचित समझी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रत्येक उल्लंघन के लिए तीन महीने के लिए निर्बाध उपगम को निलंबित करना भी शामिल होगा। तीन बार से अधिक बार उल्लंघन दोहराए जाने की स्थिति में निर्बाध उपगम को तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि निर्बाध उपगम उपभोक्ता आपूर्ति कोड के अनुसार अगले उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर स्थानांतरित नहीं हो जाता।

जबकि निर्बाध उपगम उपभोक्ता के मामले में, यदि उसे मिश्रित फीडर के माध्यम से बिजली दी जाती है, तो निर्बाध उपगम उपभोक्ता को निर्बाध उपगम और वितरण लाइसेंसधारी से अपनी कुल निकासी की राशि को वितरण लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित क्षमता तक ही सीमित रखना होगा। ऐसी अधिकतम सीमा के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उचित समझी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नोडल अभिकरण द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए तीन महीने के लिए निर्बाध उपगम को निलंबित करना भी शामिल है। तीन बार से अधिक बार उल्लंघन दोहराए जाने की स्थिति में निर्बाध उपगम को तब तककेलिए निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि निर्बाध उपगम उपभोक्ता आपूर्ति संहिता के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित क्षमता नहीं बढ़ा लेता।

5. मूल विनियमावली के विनियम 14 में संशोधन:

5.1 मूल विनियमावली के विनियम 14 का द्वितीय परंतुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परंतु यह भी कि अल्पकालिक निर्बाध उपगम वाले ग्राहकों के लिए, इन विनियमावली के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या किए जाने का दावा की गई कोई भी बात, ग्राहक द्वारा एसएलडीसी, एसटीयू या किसी अन्य संचरण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी या निर्बाध उपगम वाले संव्यवहार से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया गया समझौता (लिखित या निहित) माना जाएगा।"

6. मूल विनियमावली के विनियम 15 में संशोधन:

6.1 मूल विनियमावली के विनियम 15.3 का द्वितीय परंतुक हटा दिया जाएगा।

6.2 शब्द "उपांत" को मूल विनियमावली के विनियम 15.4 में पांच स्थानों पर "निर्बाध उपगम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6.3 मूल विनियमावली के विनियम 15.4 में एक नया खंड (ix) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(ix) विनियम 15.4 के तहत निर्बाध उपगम क्षमता के कम उपयोग के कारण कटौती या निरस्तीकरण के मामले में, निर्बाध उपगम वाले ग्राहक को संव्यवहार की शेष अवधि के दौरान संशोधित क्षमता पर पूर्ण निर्बाध उपगम प्रभार के अलावा कटौती या निरस्तीकरण की ऐसी अवधि के लिए लागू निर्बाध उपगम प्रभार का 50% भुगतान करना होगा।"

6.4 मूल विनियमावली का विनियम 15.7 नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"दीर्घावधि एवं मध्यम अवधि दोनों प्रकार की निर्बाध उपगम के मामले में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना के लिए लागू छूट दर, सीईआरसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट पुराने मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) और दिशानिर्देशों के आधार पर परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से स्तरीकृत संचरण प्रभार की गणना के लिए छूट दर होगी।"

6.5 शब्द "संचरण" को मूल विनियमावली के विनियम 15.9 में दो स्थानों पर "संचरण/व्हीलिंग" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6.6 मूल विनियमावली का विनियम 15.10 हटा दिया जाएगा।

7. मूल विनियमावली के विनियम 18 में संशोधन:

7.1 मूल विनियमावली के विनियम 18.1 में दो नए परंतुक निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

"परन्तु यह कि जीईओए उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा, यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रभार का भुगतान किया जा रहा है:

परंतु यह भी कि अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा, जो दिसंबर, 2032 तक चालू हो जाती है और जीईओए उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है।

8. मूल विनियमावली के विनियम 20 में संशोधन:

8.1 मूल विनियमावली के विनियम 20.1 का द्वितीय परंतुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परंतु यह भी कि किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था प्रासंगिक ग्रिड संहिता/विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।"

8.2 मूल विनियमावली के विनियम 20.2 के खंड (ii) में "एक वर्ष में 60 दिन" शब्दों को "एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8.3 "1.5 गुना" शब्दों को मूल विनियमावली के विनियम 20.2 के खंड (ii) में "1.25 गुना" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8.4 मूल विनियमावली के विनियम 20.2 के बाद एक नया विनियम, अर्थात्, विनियम 20.3 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

"20.3 इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए, "वैकल्पिक प्रभार" से तात्पर्य आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूर्ण निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार से है, यदि निर्बाध उपगम उपभोक्ता जनरेटर, संचरण परिसंपत्तियों और इसी तरह के अन्य मामलों में व्यवधान के कारण उन उत्पादक स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने/निर्धारित करने में असमर्थ है जिनके साथ उनका विद्युत प्राप्त करने का अनुबंध है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे वैकल्पिक प्रभार, इन सहायक सेवाओं को प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए खर्च को प्रतिबिंबित करने चाहिए।"

9. मूल विनियमावली के विनियम 21 में संशोधन:

9.1 मूल विनियमावली के विनियम 21 के शीर्षक में, शब्द "असंतुलन प्रभार" शब्दों को "विचलन प्रभार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9.2 मूल विनियमावली का विनियम 21.2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"21.2 अंतर-राज्यीय निर्बाध उपगम संव्यवहार के संबंध में एसटीयू/डिस्कॉम से जुड़े जनरेटर (सौर और पवन उत्पादन संयंत्र को छोड़कर), वितरण लाइसेंसधारी और पूर्ण निर्बाध उपगम उपभोक्ता के अनुसूचित अतःक्षेपण/निकासी और वास्तविक अतःक्षेपण/निकासी के बीच व्यतिक्रम का निपटान केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट डीएसएम विनियमावली के अनुसार किया जाएगा।

जबकि, अंतर-राज्यीय निर्बाध उपगम संव्यवहार के संबंध में एसटीयू/डिस्कॉम से जुड़े (स्थापित क्षमता सेनिरपेक्ष) सौर और पवन उत्पादन संयंत्र के अनुसूचित अतःक्षेपण और वास्तविक अतःक्षेपण के बीच व्यतिक्रम का निपटान यूपीईआरसी (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों के पूर्वानुमान, समय-निर्धारण, व्यतिक्रम निपटान और संबंधित मामले) विनियमावली, 2018 और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

10. मूल विनियमावली के विनियम 27 में संशोधन:

10.1 मूल विनियमावली के विनियम 27.1 में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परन्तु यह कि यदि अतःक्षेपण और निकासी दोनों बिंदु, संचरण प्रणाली के उपयोग के बिना वितरण प्रणाली के भीतर स्थित हैं, तो वितरण लाइसेंसधारी, यूपीईजीसी/आईईजीसी या लागू विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप, यदि लागू हो, अतःक्षेपण और निकासी बिंदु पर ऐसी बिजली के अनुसूचीयन और पारेषण के लिए उत्तरदायी होगा।

10.2 मूल विनियमावली का विनियम 27.2 नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"27.2 निर्बाध उपगम संव्यवहार इन विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार और अनुसूचीयन, पारेषण, ऊर्जा लेखांकन, डीएसएम और निर्बाध उपगम संव्यवहार के निपटान की प्रक्रियाओं के अनुसार यूपीईजीसी/आईईजीसी या लागू विनियमावली के अनुसार किया जाएगा।"

11. मूल विनियमावली के विनियम 28 में संशोधन:

11.1 मूल विनियमावली के विनियम 28 के शीर्षक में, "निर्बाध उपगम के मामले में लेखांकन" शब्दों को "आंशिक निर्बाध उपगम के मामले में लेखांकन" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. मूल विनियमावली के विनियम 29 में संशोधन:

12.1 मूल विनियमावली का विनियम 29 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"29. मीटरिंग-

29.1 एएमआर सुविधा के प्रयोजन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संचार लिंक, यदि कोई हो, सहित स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग (एएमआर) सुविधा के साथ अंतर्क्रिया ऊर्जा मीटर (आईईएम) की स्थापना, संचालन, अंशांकन और रखरखाव सीईए मीटरिंग विनियमावली और सीईए संचार विनियमावली के अनुसार होगा:

- परन्तु यह कि 11 केवी से कम वोल्टेज पर जुड़े आंशिक हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ता के पास सीईए मीटरिंग विनियमावली के अनुसार स्मार्ट मीटर का उपयोग करने का विकल्प होगा।
- 29.2 निर्बाध उपगम संव्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त अंतर-संयोजन/अंतर्क्रियात्मक बिंदुओं (अतःक्षेपण और निकासी बिंदु) पर स्थापित किए जाने वाले मीटरों के लिए विनिर्देश प्रदान करना एसटीयू का उत्तरदायित्व होगा।
- 29.3 निर्बाध उपगम ग्राहक एसएलडीसी के साथ संचार सुविधाएं स्थापित करेगा तथा एसएलडीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में वास्तविक समय के आधार पर तथा आवधिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराएगा।
- 29.4 अंतरा-पृष्ठ ऊर्जा मीटर एसएलडीसी के ऊर्जा लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ संगत होंगे।
- 29.5 उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी, जिसके परिसर में मीटर स्थापित किया गया है, का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मीटर डेटा डाउनलोड करे, मीटर किए गए डेटा को रिकॉर्ड करे तथा अपेक्षानुसार ऐसे डेटा को एसएलडीसी और अन्य अभिकरणों को उपलब्ध कराए। निर्बाध उपगम उपभोक्ता के स्तर पर मीटरों की रीडिंग और रिकॉर्डिंग वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी, जिसके लिए निर्बाध उपगम उपभोक्ता को आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधियों को उपगम प्रदान करना होगा।
- परन्तु यह कि यदि किसी कारणवश एएमआर सुविधा के माध्यम से रीडिंग प्रेषित नहीं की गई हो तो मीटर की हस्तचालित रीडिंग की जाएगी, तथापि, ऐसी स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग को उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या निर्बाध उपगम उपभोक्ता द्वारा तुरंत पुनर्स्थापित किया जाएगा।
- 29.6 33 केवी और उससे अधिक वोल्टेज पर संचरण सिस्टम से सीधे जुड़े निर्बाध उपगम उपभोक्ता की मीटरिंग और लेखा के प्रयोजन के लिए, अंतरा-पृष्ठ मीटर (मुख्य मीटर, चेक मीटर और वैकल्पिक मीटर) का स्थान यूपीईआरसी (अंतर-राज्यीय संचरण सिस्टम को संयोजकता प्रदान करना) विनियम, और उसके संशोधन के अनुसार होगा।
- वोल्टेज 33 किलोवोल्ट पर अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़े निर्बाध उपगम उपभोक्ता या वशवर्ती प्रयोक्ता द्वारा अंतरा-पृष्ठ मीटर (मुख्य मीटर और चेक मीटर) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्बाध उपगम उपभोक्ता के सिरे या वशवर्ती प्रयोक्ता के सिरे पर, जैसा भी मामला हो, स्थापित किए जाएंगे जबकि अंतरा-पृष्ठ मीटर (वैकल्पिक मीटर) स्वतंत्र फीडर के मामले में पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अपने परिसर में या मिश्रित फीडर के मामले में उपभोक्ता या वशवर्ती प्रयोक्ता वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्बाध उपगम पर स्थापित किया जाएगा। इन अंतरा-पृष्ठ मीटरों की लागत निर्बाध उपगम उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- 29.7 निर्बाध उपगम वाले उपभोक्ता के पास लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिष्ठापन के लिए अपने खर्च पर मीटर स्वयं उपलब्ध कराने का विकल्प होगा। एसटीयू अपनी वेबसाइट पर मीटरों और संबंधित उपकरणों के निर्माताओं और विनिर्देशों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा, जैसा कि निर्बाध उपगम वाले उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों की खरीद के लिए एसटीयू द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 29.8 एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारी संचरण ज़ोन स्तर और डिस्कॉम स्तर पर अधिकारी को "नोडल अधिकारी" के रूप में नामित करेंगे, जो अंतरा-पृष्ठ मीटरों के आवधिक परीक्षण, अंशांकन और रखरखाव, एसएलडीसी को मीटर्ड डेटा की समय पर डिलीवरी, एसएलडीसी/अभिकरणों के साथ आवश्यक समन्वय और अन्य संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे।"

13. मूल विनियमावली के खंड 31 में संशोधन:

13.1 मूल विनियमावली के विनियम 31.1 में, वाक्य "एसएलडीसी को इस विनियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त प्रक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है" हटा दिया जाएगा।

13.2 मूल विनियमावली का विनियम 31.2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"31.2 एसएलडीसी द्वारा तैयार ऊर्जा लेखा(ओं) का उपयोग बिलिंग प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

परन्तु यह कि एसएलडीसी बिजली के लिए ऊर्जा लेखा जारी करेगा तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा और मांग का परिमाणन करेगा, यदि निर्बाध उपगम उपभोक्ता को निर्बाध उपगम के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारी से भी बिजली प्राप्त होती है। एसएलडीसी द्वारा प्रासंगिक माह के लिए तैयार और जारी किए गए ऊर्जा लेखा के आधार पर, वितरण लाइसेंसधारी तदनुसार खुदरा टैरिफ के नियमों और शर्तों तथा ऐसे निर्बाध उपगम उपभोक्ता पर लागू खुदरा टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दरों के अनुसार निर्बाध उपगम उपभोक्ता को मांग प्रभार और सुरक्षात्मक भार प्रभार (जहां भी लागू हो) सहित आपूर्ति की गई बिजली के लिए बिल तैयार करेगा और जारी करेगा।

13.3 मूल विनियमावली के विनियम 31.4 का खंड (iv) हटा दिया जाएगा।

13.4 मूल विनियमावली के विनियम 31.4 के खंड (vii) में "असंतुलन प्रभार" शब्दों को "विचलन प्रभार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13.5 मूल विनियमावली के विनियम 31.5 के खंड (viii) में "असंतुलन प्रभार" शब्दों को "विचलन प्रभार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. नया विनियम 31क: लीड जीईओए उपभोक्ता की भूमिका:

14.1 एक नया विनियम, अर्थात्, विनियम 31क मूल विनियमावली के विनियम 31 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“31क. लीड जीईओए उपभोक्ता की भूमिका-

31क-1 लीड जीईओए उपभोक्ता को जीईओए उपभोक्ता(ओं) के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर अधिकृत किया जाएगा। लीड जीईओए उपभोक्ता संबंधित नोडल अभिकरण के साथ खुद को पंजीकृत करेंगे। लीड जीईओए उपभोक्ता अपने जीईओए उपभोक्ता(ओं) की ओर से एसटीयू, एसएलडीसी, किसी अन्य संचरण लाइसेंसधारी/वितरण लाइसेंसधारी और अन्य अभिकरणों के साथ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एकल बिंदु संपर्क होगा:

- संबंधित नोडल अभिकरण को अपने जीईओए उपभोक्ता(ओं) की ओर से लीड जीईओए उपभोक्ता के रूप में अपना प्राधिकरण प्रस्तुत करना;
- हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम आवेदन प्रस्तुत करना;
- निकासी अनुसूचियों के लिए एसएलडीसी / वितरण लाइसेंसधारी के साथ समन्वय करना;
- मीटरिंग, डेटा संग्रहण/संचरण और वास्तविक समय डेटा संचार, ऊर्जा लेखांकन, बिलिंग, भुगतान सुरक्षा और हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम संव्यवहार के निपटान के लिए एसटीयू/एसएलडीसी/वितरण लाइसेंसधारी और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना;
- जीईओए उपभोक्ता(ओं) की ओर से, निर्बाध उपगम प्रभारों का वाणिज्यिक समझौता करना;
- निर्बाध उपगम प्रभार / लागू प्रभार भुगतानों के भुगतानों का अ-संग्रहीकरण करना।

टिप्पणी: “अ-संग्रहीकरण” का तात्पर्य है जीईओए उपभोक्ता(ओं) के बीच लागू शुल्कों का पृथक्करण और विभाजन, जो उनके आपसी समझौतों द्वारा शासित होगा।

- समय-समय पर अनिवार्य किए गए अनुसार जीईओए उपभोक्ता(ओं) की ओर से किसी भी अन्य प्रभार का वाणिज्यिक निपटान करना:

परन्तु यह कि व्यक्तिगत हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ता(ओं) की समय-निर्धारण, मीटरिंग, लेखा, बिलिंग और भुगतान सहित सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, वितरण लाइसेंसधारी ऐसे हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं के समूह के लिए वेब आधारित लेखा और बिलिंग/भुगतान प्रणाली द्वारा समर्थित खंड के अंतर्गत अनेक संयोजनों के अनुबंधित भार/स्वीकृत भार के समग्रिकरण के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगा।

31क-2 प्रमुख जीईओए उपभोक्ता के प्राधिकरण के बावजूद, उस समूह के प्रत्येक जीईओए उपभोक्ता को परिचालन, वाणिज्यिक और निपटान उद्देश्यों के लिए एकल संयोजन के रूप में माना जाएगा। इन विनियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का दायित्व प्रत्येक जीईओए उपभोक्ता पर होगा, जबकि उनके और उनके प्रमुख जीईओए उपभोक्ता के बीच वाणिज्यिक और अन्य व्यवस्थाएं उनके आपसी समझौतों द्वारा शासित होंगी।”

15. मूल विनियमावली की अनुसूची-क (दीर्घकालिक और मध्यम-कालिक निर्बाध उपगम के लिए प्रक्रिया) में संशोधन:**15.1 नया विनियम 1क: यूपीएसटीयू रजिस्ट्री:**

एक नया खंड, अर्थात् विनियम 1क मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 1 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“1क. यूपीएसटीयू रजिस्ट्री-

1क-1 संयोजन, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम आवेदनों को एकल गवाक्ष एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, अर्थात्, यूपीएसटीयू रजिस्ट्री (यूपीएसटीयू-आर) के माध्यम से लागू और संसाधित किया जाएगा, जो:

- संयोजन आवेदनों का अंकेक्षण/अनुचिह्न प्रदान करेगा;
- मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम आवेदनों का अंकेक्षण/अनुचिह्न प्रदान करेगा;
- आवेदनों के प्रसंस्करण/व्यवहार्यता रिपोर्ट आदि के सत्यापन के लिए एसएलडीसी/किसी अन्य संचरण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारियों के सॉफ्टवेयर के साथ एक अंतरा-पृष्ठ प्रदान करेगा;
- संयोजन, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित भुगतान करने के लिए एक भुगतान गेटवे प्रदान करेगा;
- एसएलडीसी/किसी अन्य संचरण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी को वास्तविक समय की जानकारी के साथ डैश बोर्ड सुविधा प्रदान करेगा और संयोजन, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा जारी व्यवहार्यता रिपोर्ट, संचरण प्रकम्पा की उपलब्धता, लंबित आवेदन और संयोजन, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम प्रदान की गई और अस्वीकृत की गई जानकारी शामिल है;
- बाज़ार निगरानी और अवेक्षण के लिए आवधिक रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था करेगा;

(vii) इन विनियमावली के तहत एसटीयू द्वारा अपेक्षित संयोजन, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित किन्हीं भी अन्य कार्यों का सुगामीकरण करेगा, और

(viii) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किन्हीं भी अन्य कार्यों की व्यवस्था करेगा।

1क-2 एसटीयू, यूपीएसटीयू-आर के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

15.2 मूल विनियमावली के विनियम 2.1 में दो नए परंतुक निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

“परन्तु यह कि सभी प्रकार से पूर्ण मध्यम अवधि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के लिए आवेदन जीओएआर पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा और उसे मध्यम अवधि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए एसटीयू को भेजा जाएगा:

परन्तु यह कि मध्यम अवधि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदन में ग्राहक द्वारा यह घोषणा शामिल होगी कि यूपीईजीसी/आईईजीसी के प्रावधानों के अनुसार समय-ब्लॉकवार मीटरिंग और लेखा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सीईए संचार विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली अतःक्षेपण बिंदु और निकासी बिंदु के लिए अवस्थित हैं और प्रस्तावित समय-निर्धारण के लिए एक वैध अनुबंध स्थित है।

15.3 मूल विनियमावली के विनियम 2.1 के बाद एक नया विनियम, अर्थात्, विनियम 2.1क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“2.1क एसटीयू यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी विसंगति / कमी / किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता की स्थिति में, एसटीयू आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात (7) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कमी को सुधारने के लिए ग्राहक को सूचित करेगा।

15.4 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 2.2 के खंड (ii) में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि मध्यम अवधि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के लिए आवेदन कम से कम पैतालीस (45) दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।”

15.5 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 2.3 का परंतुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा;

“आवेदन के साथ गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस या किसी अन्य डिजिटल भुगतान विधि के माध्यम से एसटीयू द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में लखनऊ में देय होना चाहिए।”

15.6 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 2.3 के अंत में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से निर्बाध उपगम का लाभ उठाने के इच्छुक हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं के मामले में, गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान सभी व्यक्तिगत जीईओए उपभोक्ताओं द्वारा संचयी रूप से करना होगा।”

15.7 विनियमावली 2.3 के अंतर्गत अंत में निम्नानुसार एक “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी:

“टिप्पणी: आवेदन शुल्क का भुगतान लागू करों के साथ, यदि कोई हों, किया जाएगा।”

15.8 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 3.1 में, वाक्य “और सात दिनों के बाद नहीं” हटा दिया जाएगा।

15.9 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 3.1 में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि मध्यम अवधि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के लिए, ऐसी व्यवहार्यता रिपोर्ट संचरण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पंद्रह (15) दिनों के भीतर एसटीयू को प्रस्तुत की जाएगी।”

15.10 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 4.1 के खंड (iii) में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि मध्यम अवधि के हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के मामले में, एसटीयू आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निर्बाध उपगम के अनुदान की पुष्टि करेगा और ग्राहक को पंद्रह (15) दिनों के भीतर संबंधित संचरण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी के साथ बीपीटीए और/या बीपीडब्ल्यूए में प्रवेश करने का निर्देश देगा।”

16. मूल विनियमावली की अनुसूची-क (दीर्घकालिक और मध्यम-कालिक निर्बाध उपगम के लिए प्रक्रिया) और अनुसूची-ख (अल्पकालिक निर्बाध उपगम के लिए प्रक्रिया) में संशोधन:

16.1 मूल विनियमावली की अनुसूची-क के विनियम 6.2 और अनुसूची-ख के विनियम 7.7 में “1 मेगावाट से अधिक अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ता” शब्दों को “निर्बाध उपगम उपभोक्ता” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. मूल विनियमावली की अनुसूची-ख (अल्पकालिक निर्बाध उपगम के लिए प्रक्रिया) में संशोधन:

17.1 नया विनियम 1क: यूपीएसएलडीसी रजिस्ट्री:

मूल विनियमावली की अनुसूची-ख के विनियम 1 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 1क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“1क. यूपीएसएलडीसी रजिस्ट्री-

1क-1 पंजीकरण और अल्पकालिक निर्बाध उपगम आवेदनों को एकल गवाक्ष एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, अर्थात् यूपीएसएलडीसी रजिस्ट्री (यूपीएसएलडीसी-आर) के माध्यम से लागू और संसाधित किया जाएगा, जो:

- (i) पंजीकरण आवेदनों का अंकेक्षणअनुचिह्न प्रदान करेगा;
- (ii) अल्पकालिक निर्बाध उपगम आवेदनों का अंकेक्षणअनुचिह्न प्रदान करेगा;
- (iii) सहमति के प्रसंस्करण/सत्यापन के लिए एसटीयू/किसी अन्य संचरण लाइसेंसी और वितरण लाइसेंसियों के सॉफ्टवेयर के साथ एक अंतरा-पृष्ठ प्रदान करेगा;
- (iv) अल्पकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित भुगतान करने के लिए एक भुगतान गेटवे प्रदान करेगा;
- (v) एसटीयू/किसी अन्य संचरण लाइसेंसी और वितरण लाइसेंसियों को वास्तविक समय की जानकारी के साथ डैश बोर्ड सुविधा प्रदान करेगा और एसटीयू/किसी अन्य संचरण लाइसेंसी और/या वितरण लाइसेंसियों द्वारा जारी सहमति, संचरण प्रकम्पा की उपलब्धता, लंबित आवेदन और स्वीकृत और अस्वीकृत अल्पकालिक निर्बाध उपगम सहित अल्पकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित जानकारी के निक्षेपागार के रूप में कार्य करेगा;
- (vi) बाज़ार निगरानी और अवेक्षण के लिए आवधिक रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था करेगा;
- (vii) एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित अल्पकालिक निर्बाध उपगम से संबंधित किन्हीं भी अन्य कार्यों की व्यवस्था करेगा, तथा
- (viii) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किन्हीं भी अन्य कार्यों का सुगमीकरण करेगा।

1क-2 एसएलडीसी यूपीएसएलडीसी-आर के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

17.2 मूल विनियमावली की अनुसूची-ख के विनियम 2, विनियम 3, विनियम 4 और विनियम 5 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

2. एसएलडीसी के साथ पंजीकरण-

2.1 अतःक्षेपण देने वाली इकाई / आहर्ता इकाई को एसएलडीसी के साथ प्रारूप [FORMAT-ST11] पर 'पंजीकरण' के लिए आवेदन करना होगा। एसटी-11 का प्रारूप अधिमानतः राष्ट्रीय भार पारेषण केंद्र के राष्ट्रीय निर्बाध उपगम रजिस्ट्री (एनओएआर) पोर्टल के तहत अधिमानतः वर्तमान इकाई पंजीकरण के अनुरूप होने चाहिए। पंजीकरण प्रभार यूपीईआरसी (राज्य भार पारेषण केंद्र और अन्य संबंधित मामलों के प्रभार और प्रभार) विनियम, 2020 में समय-समय पर संशोधित या आयोग के किसी आदेश में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। ऐसी अतःक्षेपण लगाने वाली इकाई/आहर्ता इकाई यह घोषित करेगी कि यूपीईजीसी/आईईजीसी के प्रावधानों के अनुसार समय-ब्लॉक-वार मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सीईए संचार विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली अतःक्षेपण के बिंदु / निकासी के बिंदु के लिए, जैसा भी मामला हो, अवस्थित है। किसी भी नई इकाई को पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले लागू यूपीईआरसी विनियमावली के अनुसार अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली से संयोजना प्राप्त करनी होगी:

परन्तु यह कि लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से पंजीकरण की इच्छा रखने वाले हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं के मामले में, पंजीकरण प्रभार का भुगतान सभी व्यक्तिगत हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं द्वारा संचयी रूप से करना होगा।

2.2 एसटीयू/किसी अन्य संचरण लाइसेंसी और/या संबंधित वितरण लाइसेंसी से अतःक्षेपण बिंदु/निकासी बिंदु के लिए सहमति के लिए एक स्वचालित अनुरोध, जैसी भी स्थिति हो, यूपीएसएलडीसी-आर के माध्यम से प्रारूप [FORMAT-ST12(A)/(B)] पर अग्रेषित किया जाएगा। एसटीयू/किसी अन्य संचरण लाइसेंसी और/या वितरण लाइसेंसी को उक्त अवधि के दौरान ऐसे अतःक्षेपण/निकासी मात्रा के लिए सात (7) कार्य दिवसों के भीतर यूपीएसएलडीसी-आर के माध्यम से एसएलडीसी को प्रारूप [FORMAT-ST13(A)/(B)] पर अपनी सहमति या अन्यथा सूचित करना होगा:

परन्तु यह कि सहमति के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, एसटीयू/कोई अन्य संचरण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी यूपीएसएलडीसी-आर को कारण बताएंगे। एसएलडीसी संबंधित लाइसेंसधारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है तथा उचित समझे जाने पर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है।

2.3 एसएलडीसी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी विसंगति/कमी/किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता की स्थिति में, एसएलडीसी यूपीएसएलडीसी-आर के माध्यम से FORMAT-ST11 की प्राप्ति की तारीख से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर कमी को सुधारने के लिए संबंधित इकाई को सूचित करेगा। जैसी भी स्थिति हो, अतःक्षेपण लगाने वाली इकाई/आहर्ता इकाई को उसके बाद पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर कमी को सुधारना होगा, जिसे न करने पर पंजीकरण आवेदन बंद कर दिया जाएगा और पंजीकरण प्रभार जब्त कर लिया जाएगा। एसएलडीसी, अपेक्षित सहमति की प्राप्ति सहित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह (15) कार्य दिवसों के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, आवेदनकर्ता इकाई/आहर्ता इकाई को FORMAT-ST12 में पंजीकरण या अन्यथा की स्वीकृति की सूचना देगा। पंजीकरण एक (1) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और उसके बाद एसटीयू / किसी अन्य संचरण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी की सहमति प्राप्त करने के बाद ऐसी

अतःक्षेपण इकाई / आहर्ता इकाई द्वारा एक (1) वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है। संबंधित संस्था को किसी भी सांतरता से बचने के लिए कम से कम तीन (3) महीने पहले नवीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी:

परन्तु यह कि यदि अंतर-राज्यीय पारेषण और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करके अंतर्विनियम की जाने वाली बिजली की मात्रा के संबंध में कोई भौतिक परिवर्तन [पांच (5) प्रतिशत से अधिक] होता है, तो इन विनियमावली के तहत एक नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

- 2.4 अतःक्षेपण देने वाली इकाई/आहर्ता इकाई के पंजीकरण का उद्देश्य मूल इनपुट रिकॉर्ड करना है, जिसके आधार पर संचरण और/या वितरण प्रणाली में तकनीकी/परिचालन बाधाओं का मूल्यांकन एसएलडीसी द्वारा निर्बाध उपगम की अनुमति देने से पहले किया जाएगा। इसे अल्पकालिक निर्बाध उपगम का अनुदान/गारंटी नहीं समझना चाहिए।
- 2.5 "सहमति" का तात्पर्य होगा अतिरिक्त क्षमता, किसी तकनीकी/परिचालन बाधा तथा समय-ब्लॉक-वार मीटरिंग और लेखाकरण तथा उपयुक्त संचार प्रणाली के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता के समुचित सत्यापन के पश्चात निर्दिष्ट अवधि के दौरान पारेषण और/या वितरण प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक सहमति। सहमति, निर्दिष्ट अवधि के दौरान, निर्दिष्ट अतःक्षेपण मात्रा या निकासी मात्रा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए लागू होगी।
- 2.6 अतःक्षेपण देने वाली इकाई/आहर्ता इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही हैं, अन्यथा एसएलडीसी द्वारा पंजीकरण रद्द/अस्वीकृत किया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि इकाई द्वारा प्रदान की गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, इकाई के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एसएलडीसी के साथ सूचना को अद्यतन करे।

3. हरितऊर्जा निर्बाध उपगम के मामले में जीओएआर पोर्टल पर पंजीकरण-

- 3.1 इकाई को सीईआरसी विनियमावली / सीएनए प्रक्रिया के अनुसार, जीओएआर पोर्टल में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले यूपीएसएलडीसी-आर के माध्यम से अनुसूची-ख के विनियमावली 2 के तहत एसएलडीसी के साथ पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

4. अल्पकालिक निर्बाध उपगम की स्वीकृति के लिए आवेदन-

- 4.1 अल्पकालिक निर्बाध उपगम प्राप्त करने का इच्छुक अल्पकालिक निर्बाध उपगम ग्राहक (जिसे आगे "ग्राहक" कहा जाएगा) एसएलडीसी के पास प्रारूप [FORMAT-ST1] पर निर्दिष्ट मात्रा और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु यह कि हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के लिए सभी तरह से पूर्ण आवेदन जीओएआर पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अल्पकालिक हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए यूपीएसएलडीसी-आर पर एसएलडीसी को भेजा जाएगा।

- 4.2 अल्पकालिक निर्बाध उपगम चाहने वाला ग्राहक एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उक्त निर्बाध उपगम/प्रस्तावित अनुसूचीयन के लिए एक वैध अनुबंध है और जिस क्षमता (बिजली की मात्रा) के लिए अल्पकालिक निर्बाध उपगम वांछित है, उसके लिए एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बिजली खरीद समझौता या कोई अन्य द्विपक्षीय समझौता नहीं किया गया है:

परन्तु यह कि समेकित गैर-मांग वाली क्षमता और गैर-समेकित क्षमता प्रस्तावित अनुसूचीयन के लिए पात्र होगी और तदनुसार अल्पकालिक निर्बाध उपगम प्रदान करते समय उस पर विचार किया जाएगा।

- 4.3 आवेदन के साथ 500 रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा। 5,000/- (या आयोग द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित) लागू करें सहित आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा या डिजिटल भुगतान के किसी अन्य माध्यम से एसएलडीसी द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में लखनऊ में देय होगा। आवेदन शुल्क के भुगतान में चूक होने पर, एसएलडीसी आवेदन को अस्वीकार कर देगा;

परन्तु यह कि लीड जीईओए उपभोक्ता के माध्यम से निर्बाध उपगम का लाभ उठाने के इच्छुक हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं के मामले में, आवेदन शुल्क का भुगतान सभी व्यक्तिगत हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं द्वारा संचयी रूप से करना होगा।

- 4.4 अल्पकालिक निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किया जा सकता है:

4.4.1 अग्रिम आवेदन:

(क) (डी+3) दिन या उसके बाद आरंभ होने वाले निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए (डी) दिन पर किया गया आवेदन, जो (डी) दिन के उसी महीने में या उसके बाद के महीने में पड़ सकता है।

(ख) अग्रिम आवेदन श्रेणी के तहत अनुसूचीयन अनुरोध एक दिन पहले के आधार पर किया जाएगा। अनुसूची में संशोधन यूपीईजीसी/आईईजीसी के अनुसार होगा।

4.4.2 तात्कालिक आवेदन:

(क) ऐसी क्षमता के लिए अनुसूचीयन के साथ निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए आवेदन एसएलडीसी द्वारा अनुसूचीयन की तिथि से दो दिन पूर्व प्राप्त किया जाएगा, लेकिन एक दिन पहले के संव्यवहार के लिए अनुसूचीयन के दिन से ठीक पहले के दिन के 13:00 बजे के बाद नहीं।

उदाहरण के लिए, 25 जुलाई के लिए निर्धारित निर्बाध उपगम आवेदन उस माह की 23 तारीख को या 24 तारीख को 13:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

(ख) (एस-1) दिन के 13:00 बजे के बाद या (एस) दिन में प्राप्त अनुसूचीयन वाले आवेदन को 8 समय उप-खंडों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

(ग) तात्कालिक आवेदन श्रेणी के अंतर्गत दी गई अल्पकालिक निर्बाध उपगम को अनुसूचित माना जाएगा, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा।

5. नोडल अभिकरण द्वारा अल्पकालिक निर्बाध उपगम की मंजूरी-

5.1 एसएलडीसी लेन-देन में शामिल संचरण और/या वितरण प्रणाली के किसी भी घटक (लाइन और ट्रांसफार्मर) के संकलन की स्थिति में निर्बाध उपगम लेन-देन की जांच करेगा और तदनुसार निर्बाध उपगम की अनुमति देगा, यदि संचरण और/या वितरण प्रणाली में किसी भी सिस्टम सुदृढीकरण के बिना पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है।

5.2 एसएलडीसी नीचे निर्धारित समयसीमा के अनुसार ग्राहक को प्रारूप [FORMAT-ST2] पर निर्बाध उपगम या अन्यथा की अनुमति देगा।

5.2.1 अग्रिम आवेदन:

अल्पकालिक निर्बाध उपगम के लिए अग्रिम आवेदन पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा और इसे (डी+1) दिन के 23:59 बजे तक संसाधित किया जाएगा, 'डी' आवेदन करने की तिथि है:

परन्तु यह कि यदि नोडल अभिकरण उपर्युक्त निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर हरित ऊर्जा निर्बाध उपगम के अनुदान के लिए अग्रिम आवेदन को संसाधित करने में विफल रहती है, तो इसे इन विनियमावली के तहत निर्दिष्ट तकनीकी/परिचालन अपेक्षाओं और शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रदान किया गया माना जाएगा।

5.2.2 तात्कालिक आवेदन:

(एस) दिन के लिए निर्धारित समय के साथ अल्पकालिक निर्बाध उपगम के लिए तात्कालिक आवेदन निम्नानुसार संसाधित किया जाएगा:

(क) (एस-1) दिन के 13:00 बजे तक प्राप्त आवेदन को (एस-1) दिन को 13:00 बजे के बाद पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर संसाधित किया जाएगा, और (एस-1) दिन के 15:00 बजे तक निर्णीत किया जाएगा।

(ख) (एस-1) दिन के 13:00 बजे के बाद या (एस) दिन में प्राप्त आवेदन को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 8-समय उप-खंडों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

5.3 निर्बाध उपगम प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, एसएलडीसी लिखित रूप में ग्राहक को ऐसी अस्वीकृति के कारण बताएगा:

5.4 यदि आवेदन के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध उपगम, आवेदन में मांगी गई पूरी मात्रा और पूरी अवधि के लिए प्रदान नहीं की जा सकती है, तो पारिषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली में व्यवरोध को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि ग्राहक ने अपने आवेदन में सहमति दी है कि उसे आंशिक मात्रा या आंशिक अवधि या दोनों के लिए निर्बाध उपगम प्रदान की जा सकती है, तो ऐसी आंशिक मात्रा और आंशिक अवधि या दोनों के लिए अल्पकालिक निर्बाध उपगम उपलब्ध पारिषण और/या वितरण क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

17.3 शब्द "प्रचालनीय" को मूल विनियमावली की अनुसूची-ख के विनियम 7.8 में दो स्थानों पर "तकनीकी/प्रचालनीय" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा
शैलेंद्र गौर,
सचिव।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

No. UPERC/Secy./Regulation-007

Dated Lucknow, December 16, 2024

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act') and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement:

- 1.1 These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) (First Amendment) Regulations, 2024.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

- 2.1 The word "Rules" shall be substituted with the word "Regulations" at two places in Regulation 2.1 of the Principal Regulations.
- 2.2 The words "'Bilateral transaction' means" shall be substituted with the words "'Bilateral transaction' in terms of short-term open access means" in clause (b) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations.
- 2.3 A new clause, namely, clause (c-i) shall be added after clause (c) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under:
 "(c-i) "Central Nodal Agency" or "CNA" for green energy open access means a Central Nodal Agency as notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy;"
- 2.4 A new clause, namely, clause (e-i) shall be added after clause (e) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under:
 "(e-i) "Deviation" in a time block shall have the same meaning as defined under CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 ("CERC DSM Regulations");
- 2.5 Clause (g) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations shall be *substituted* as under:
 "(g) "Energy Account" means energy account(s) prepared by State Load Despatch Centre at all the interface points (i.e. generation–transmission/distribution, transmission–distribution and transmission/distribution–open access consumer) and shall include the DSM account(s), Reactive Energy Charges Account(s) and any other accounts as may be notified by the Commission, as applicable, in case of use of transmission system(s) with or without distribution system(s);

Provided that distribution licensee shall have to prepare such account (s) in case both point of injection and drawal are located within his distribution system only without the use of transmission system;"

- 2.6 Three new clauses, namely, clause (g-i), clause (g-ii) and (g-iii) shall be added after clause (g) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under:

"(g-i) "Green Energy" / "Renewable Energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology / sources as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia;"

"(g-ii) "Green Energy Open Access" or "GEOA" means open access to consumer (s) of green energy with contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above through single connection or with aggregated contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above through multiple connections having same retail category in the same name located in same electricity division of a distribution licensee through

a Lead GEOA Consumer, subject to the fulfilment of the technical/ operational requirement as specified in these Regulations and of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC / IEGC and the expression “Green Energy Open Access Consumer (s)” or “GEOA Consumer (s)” shall be construed accordingly:

Provided that in case of multiple connections with contracted load / sanctioned load of less than hundred (100) kW each located in same electricity division of a distribution licensee with aggregated contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above but not exceeding two hundred (200) kW, there shall be no such restrictions of same retail category under the same name for availing such green energy open access through a Lead GEOA Consumer:

Provided further that in case of captive user availing green energy, there shall not be such load limitation and the same shall be subject to the fulfilment of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC/IEGC and such open access shall be subject to the fulfilment of the technical/ operational requirement as specified in these Regulations:

Provided also that the above licence area restriction on the basis of electricity division shall be applicable to Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited & Kanpur Electricity Supply Company Limited and their successor entities only and for all other distribution licensees, the area to be considered shall be equal to the entire licence area;”

“(g-iii) “GEOA Rules” means the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 and amendments thereof;”

2.7 Clause (h) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations shall be deleted.

2.8 A new clause, namely, clause (h-i) shall be added after clause (h) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under.

“(h-i) “Lead GEOA Consumer” means authorized representative designated among GEOA Consumers who will act as a coordinating agency on their behalf in case of green energy open access availing by aggregating contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above through multiple connections located in same electricity division of a distribution licensee as per these Regulations;”

2.9 The words “but not exceeding 25 years” shall be added at the end in clause (i) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations.

2.10 The words “exceeding 3 months but not exceeding 5 years” shall be substituted with the words “exceeding 11 months but not exceeding 3 years” in clause (j) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations.

2.11 Clause (m), clause (p) and clause (q) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations shall be deleted.

2.12 Four new provisos shall be added to sub-cause (iii) of clause (n) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under:

“Provided that GEOA Consumer (s) who has contracted load/sanctioned load of hundred (100) kW & above through single connection or with aggregated contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above through multiple connections having same retail category in the same name located in same electricity division of a distribution licensee through a Lead GEOA Consumer, subject to the fulfilment of the technical / operational requirement as specified in these Regulations and of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC / IEGC:

Provided that in case of multiple connections with contracted load / sanctioned load of less than hundred (100) kW each located in same electricity division of a distribution licensee with aggregated contracted load / sanctioned load of hundred (100) kW & above but not exceeding two hundred (200) kW, there shall be no such restrictions of same retail category under the same name for availing such green energy open access through a Lead GEOA Consumer:

Provided further that in case of captive user availing green energy, there shall not be such load limitation and the same shall be subject to the fulfilment of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC / IEGC and such open access shall be subject to the fulfilment of the technical / operational requirement as specified in these Regulations:

Provided also that the above licence area restriction on the basis of electricity division shall be applicable to Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited & Kanpur

Electricity Supply Company Limited and their successor entities only and for all other distribution licensees, the area to be considered shall be equal to the entire licence area.”

2.13 The words “(including green energy open access)” shall be added after the words “one who consumes electricity through open access” and before the words “from a person” in clause (o) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations.

2.14 The words “3 months” shall be substituted with the words “11 months” in clause (r) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations.

2.15 Two new clauses, namely, clause (v) and clause (w) shall be added after clause (u) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations as under:

“(v) “UPSLDC Registry” or “UPSLDC-R” means the Registry as specified under Regulation 1A of Schedule-B of these regulations;

“(w) “UPSTU Registry” or “UPSTU-R” means the Registry as specified under Regulation 1A of Schedule-A of these regulations;

2.16 The word “Rules” shall be substituted with the word “Regulations” at two places in Regulation 2.5 of the Principal Regulations.

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

3.1 The words “exceeding 5 years” shall be substituted with the words “exceeding 5 years but not exceeding 25 years” in Regulation 4.2 of the Principal Regulations.

3.2 The words “more than 3 months and up to 5 years” shall be substituted with the words “more than 11 months and up to 3 years” in Regulation 4.3 of the Principal Regulations.

3.3 The words “3 months” shall be substituted with the words “11 months” in Regulation 4.4 of the Principal Regulations.

4. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

4.1 Four new provisos shall be added to Regulation 7.1 and to clause (c) of Regulation 7.3 of the Principal Regulations as under:

“Provided that GEOA Consumer (s) who has contracted load/sanctioned load of hundred (100) kW & above through single connection or with aggregated contracted load/sanctioned load of hundred (100) kW & above through multiple connections having same retail category in the same name located in same electricity division of a distribution licensee through a Lead GEOA Consumer, subject to the fulfilment of the technical / operational requirement as specified in these Regulations and of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC / IEGC:

Provided that in case of multiple connections with contracted load / sanctioned load of less than hundred (100) kW each located in same electricity division of a distribution licensee with aggregated contracted load /sanctioned load of hundred (100) kW & above but not exceeding two hundred (200) kW, there shall be no such restrictions of same retail category under the same name for availing such green energy open access through a Lead GEOA Consumer:

Provided further that in case of captive user availing green energy, there shall not be such load limitation and the same shall be subject to the fulfilment of requisitions and schedules having resolution in accordance with UPEGC / IEGC and such open access shall be subject to the fulfilment of the technical / operational requirement as specified in these Regulations:

Provided also that the above licence area restriction on the basis of electricity division shall be applicable to Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited & Kanpur Electricity Supply Company Limited and their successor entities only and for all other distribution licensees, the area to be considered shall be equal to the entire licence area.”

4.2 The words “other charges” shall be substituted with the words “other fees and charges” at two places in first proviso of Regulation 7.3 of the Principal Regulations.

4.3 Two new provisos shall be added after first proviso to Regulation 7.3 as under:

“Provided further that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel based Waste-to-Energy plant is supplied to GEOA Consumer:

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia:”

4.4 The words “Consumers with Contracted demand of 1 MW or above” shall be substituted with the words “Open Access Consumers” in fourth proviso of Regulation 7.3 of the Principal Regulations.

4.5 Seventh proviso to Regulation 7.3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that prior to grant of open access, consumer shall enter into connection agreement in accordance with UPERC (Grant of Connectivity to intra-State Transmission System) Regulations, 2010 whereas in case of consumer who is connected with the system of distribution licensee, the connection agreement should be in line with the existing model connection agreement with intra-State transmission system incorporating suitable modification in consultation with distribution licensee, as the case may be:”

4.6 Regulation 7.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“In case of open access consumer if fed through independent feeder, the total drawal from open access and from the Distribution Licensee shall be restricted upto the ceiling of drawl applicable for the voltage level, as specified under the Supply Code, to which the open access consumer is connected. In case of any breach of such ceiling penal action be taken by the Nodal Agency as deemed appropriate including suspension of open access for three months for each breach. In case of repeated breach for more than three times open access shall be suspended till open access consumer shift to the next appropriate voltage level as per Supply Code.

Whereas in case of open access consumer if fed through mixed feeder the open access consumer shall restrict the sum of his total drawal from open access and from the distribution licensee upto the contracted capacity with the Distribution Licensee. In case of any breach of such ceiling penal action be taken by the Distribution Licensee as deemed appropriate including suspension of open access for three months for each breach by the Nodal Agency. In case of repeated breach for more than three times open access shall be suspended till open access consumer enhances the contracted capacity with the Distribution Licensee as per Supply Code.”

5. Amendment to Regulation 14 of the Principal Regulations:

5.1 Second proviso to Regulation 14 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided further that for short-term open access customer, anything done or to be done or purported to be done under these Regulations, shall constitute an Agreement (written or implied) entered into by the customer with SLDC, STU or any other transmission licensee, distribution licensee or any other person concerned with the open access transaction.”

6. Amendment to Regulation 15 of the Principal Regulations:

6.1 Second proviso to Regulation 15.3 of the Principal Regulations shall be deleted.

6.2 The word “marginal” shall be substituted with the words “open access” at five places in Regulation 15.4 of the Principal Regulations.

6.3 A new clause (ix) shall be added to Regulation 15.4 of the Principal Regulations as under:

“(ix) In case of reduction or cancellation due to under-utilisation of the open access capacity under Regulation 15.4, open access customer shall be liable to pay 50% of applicable open access charges for such period of reduction or cancellation in addition to full open access charges on revised capacity during remaining period of transaction.”

6.4 Regulation 15.7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“The discount rate that shall be applicable for computing the net present value in case of both long term & medium term open access shall be the discount rate for computation of levelized transmission charges for the purpose of bid evaluation for projects based on the old Standard Bidding Documents (SBDs) and Guidelines as specified by CERC from time to time.”

6.5 The word “transmission” shall be substituted with the words “transmission/wheeling” at two places in Regulation 15.9 of the Principal Regulations.

6.6 Regulation 15.10 of the Principal Regulations shall be deleted.

7. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations:

7.1 Two new provisos shall be added to Regulation 18.1 of the Principal Regulations as under:

“Provided that additional surcharge shall not be applicable for GEOA Consumer, if fixed charges are being paid by such a consumer:

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned upto December, 2032 and supplied to GEOA Consumer.”

8. Amendment to Regulation 20 of the Principal Regulations:

8.1 Second proviso to Regulation 20.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided further that standby power from any other source shall be scheduled in accordance with the provisions of the relevant Grid Code/ Regulations.”

8.2 The words “60 days in a year” shall be substituted with the words “60 number of days in a financial year” in clause (ii) of Regulation 20.2 of the Principal Regulations.

8.3 The words “1.5 times” shall be substituted with the words “1.25 times” in clause (ii) of Regulation 20.2 of the Principal Regulations.

8.4 A new Regulation, namely, Regulation 20.3 shall be added after Regulation 20.2 of the Principal Regulations as under;

“20.3 For the purposes of these Regulation, “Standby Charges” means the charges applicable to full open access consumers towards the standby arrangement provided by the distribution licensee of the area of supply, in case the open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission assets and the like. Such standby charges for maintaining standby arrangements for such consumers should be reflective of the costs incurred by distribution licensee for providing these support services.”

9. Amendment to Regulation 21 of the Principal Regulations:

9.1 In the heading in Regulation 21 of the Principal Regulations, the words “Imbalance Charges” shall be substituted with the words “Deviation Charges”.

9.2 Regulation 21.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“21.2 Deviation between scheduled injection / drawal and actual injection/drawal of STU/ Discom connected generator (except for solar and wind generating plant), distribution licensee and full open access consumer in respect of intra-State open access transaction will be settled as per DSM Regulations specified by Central Commission.

Whereas, Deviation between scheduled injection and actual injection of STU/ Discom connected (irrespective of installed capacity) solar and wind generating plant in respect of intra-State open access transaction will be settled as per UPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters of Solar and Wind Generation Sources) Regulation, 2018 and amendments thereof.

10. Amendment to Regulation 27 of the Principal Regulations:

10.1 A new proviso shall be added to Regulation 27.1 of the Principal Regulations as under:

“Provided that in case both point of injection and drawal are located within distribution system (s) without the use of transmission system, distribution licensee shall be responsible for scheduling and despatch of such electricity at point of injection and drawal, if applicable, in line with the provisions of UPEGC/IEGC or applicable Regulations.

10.2 Regulation 27.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“27.2 Open access transaction shall be carried out in accordance with the provisions of these Regulations and as per the procedures for scheduling, despatch, energy accounting, DSM and settlement of open access transactions in accordance with UPEGC/ IEGC or applicable Regulations.”

11. Amendment to Regulation 28 of the Principal Regulations:

11.1 In the heading in Regulation 28 of the Principal Regulations, the words “Accounting in case of Open Access” shall be substituted with the words “Accounting in case of Part Open Access”.

12. Amendment to Regulation 29 of the Principal Regulations:

12.1 Regulation 29 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“29. Metering–

29.1 The installation, operation, calibration and maintenance of Interface Energy Meters (IEMs) with automatic remote meter reading (AMR) facility including additional communication

links, if any, required for the purpose of AMR facility shall be in accordance with CEA Metering Regulations and CEA Communications Regulations:

Provided that part green energy open access consumer connected at voltage below 11 kV shall have the option to use Smart Meteras per CEA Metering Regulations.

- 29.2 It shall be the responsibility of STU to provide specifications for meters to be installed at appropriate inter-connection/interface points (injection and drawal points) for facilitating the open access transactions.
- 29.3 Open access customer shall establish communication facilities with SLDC and provide such information and in such format as may be specified by SLDC, on real time basis as well as periodically.
- 29.4 Interface Energy Meters shall be compatible with energy accounting software of SLDC.
- 29.5 It shall be the responsibility of the generating company or the licensee, in whose premises the meter has been installed, to download the meter data, record the metered data and furnish such data to SLDC and other agencies as required. The reading and recording of meters at open access consumer end shall be done by the distribution licensee for which open access consumer shall provide access to the authorized representative (s) of the licensee if required:
Provided that manual reading of meter shall be done in case readings have not been transmitted through AMR facility due to any reason however, such automatic remote meter reading shall be restored immediately by the generating company or the licensee or the open access consumer as the case may be.
- 29.6 For the purpose of metering and accounting of open access consumer directly connected to transmission system at voltage 33 kV and above, location of interface meters (mainmeter, check meter and standby meter) shall be as per UPERC (Grant of Connectivity to intra-State Transmission System) Regulations, 2010 and amendment thereof.
For the purpose of metering and accounting of open access consumer directly connected to distribution system at voltage 33 kV and below, the interface meters (main meter and check meter) shall be installed by the distribution licensee at open access consumer end, whereas interface meter (standby meter) shall be installed by the distribution licensee in its premises in case of independent feeder or at open access consumer end in case of mixed feeder. The cost of these interface meters shall be borne by open access consumer.
- 29.7 Open access consumer shall have the option to make available meters himself at his cost for installation by the licensee. STU shall make available on its website, an updated list of makes and specifications of meters and associated equipment, as approved by STU for purchase of meters by open access consumer.
- 29.8 STU and distribution licensee (s) shall designate Officer (s) as “Nodal Officer” at transmission zone level (s) and Discom level (s) who shall be responsible for periodical testing, calibration and maintenance of interface meters, timely delivery of metered data to SLDC, necessary coordination with SLDC/agencies and other related matters.”

13. Amendment to Clause 31 of the Principal Regulations:

- 13.1 In Regulation 31.1 of the Principal Regulations, the sentence “The SLDC is directed to submit the above-mentioned procedure within 60 days of notification of this Regulation” shall be deleted.

13.2 Regulation 31.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“31.2 Energy account prepared by SLDC shall be used for billing purposes:

Provided that SLDC shall issue energy account for electricity and quantify the demand and energy supplied by the distribution licensee in case where open access consumer receives electricity through both open access as well as from distribution licensee. On the basis of energy account prepared and issued for the relevant month by SLDC, distribution licensee shall accordingly prepare and raise bill for electricity supplied including demand charge and protective load charge (wherever applicable) on open access consumer in accordance with terms and conditions of retail tariff and rates specified by the Commission in the retail tariff order as applicable to such open access consumer.”

13.3 Clause (iv) of Regulation 31.4 of the Principal Regulations shall be deleted.

13.4 The words “imbalance charges” shall be substituted with the words “deviation charges” in clause (vii) of Regulation 31.4 of the Principal Regulations.

13.5 The words “Imbalance charges” shall be substituted with the words “deviation charges” in clause (viii) of Regulation 31.5 of the Principal Regulations.

14. New Regulation 31A: Role of Lead GEOA Consumer:

14.1 A new Regulation, namely, Regulation 31A shall be added after Regulation 31 of the Principal Regulations as under:

“31A. Role of Lead GEOA Consumer–

31A-1 Lead GEOA Consumer shall be authorized based on mutually agreed terms and conditions from amongst GEOA Consumer(s). Lead GEOA Consumer shall register themselves with the concerned Nodal Agency. Lead GEOA Consumer shall be the single point contact with STU, SLDC, any other transmission licensee/ distribution licensee and other agencies on behalf of its GEOA Consumer(s) inter alia for the following purposes:

- (i) Submit its authorization as Lead GEOA Consumer on behalf of its GEOA Consumer(s) to the concerned Nodal Agency;
- (ii) Submit green energy open access application;
- (iii) Coordination with SLDC / distribution licensee for drawal schedules;
- (iv) Coordination with STU/SLDC / distribution licensee and other agencies for metering, data collection/ transmission and real time data communication, energy accounting, billing, payment security and settlement of green energy open access transaction(s);
- (v) Undertake commercial settlements on behalf of GEOA Consumer(s), of open access charges.
- (vi) Undertake de-pooling of payments of open access charges / applicable charges payments.

Note: “De-Pooling” means the disaggregation and apportionment of the applicable charges among GEOA Consumer(s) which shall be governed by their inter-se agreements.

- (vii) Undertake commercial settlement of any other charges on behalf of GEOA Consumer(s) as mandated from time to time;

Provided that for all practical purposes including scheduling, metering, accounting, billing and payment of individual green energy open access consumer(s), the distribution licensee shall develop a procedure for aggregation of contracted load / sanctioned load of multiple connections under a division supported by web based accounting and billing / payment system for such group of green energy open access consumers.

31A-2 Notwithstanding the authorization of Lead GEOA Consumer, each GEOA Consumer of that group shall be treated as single connection (s) for the operational, commercial and settlement purposes. Onus of complying with the relevant provisions of these Regulations shall lie with each GEOA Consumer whereas the commercial & other arrangements between them and their Lead GEOA Consumer shall be governed by their inter-se agreements.”

15. Amendment to Schedule-A (Procedure for Long-Term and Medium-Term Open Access) of the Principal Regulations:

15.1 New Regulation 1A: UPSTU Registry:

A new Regulation, namely Regulation 1A shall be added after Regulation 1 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“1A. UPSTU Registry–

1A-1 The connectivity, medium term and long term open access applications shall be applied and processed through single window unified electronic platform, namely, UPSTU Registry (UPSTU-R) which shall:

- (i) Provide the audit trail of connectivity applications;
- (ii) Provide the audit trail of medium term and long term open access applications;
- (iii) Provide an interface with the software of SLDC / any other transmission licensee and distribution licensees for processing of applications/validation of feasibility reports etc.;

- (iv) Provide a payment gateway for making payments related to connectivity, medium term and long term open access;
- (v) Provide Dash Board facility with real time information to SLDC / any other transmission licensee and distribution licensees and act as a repository of information related to connectivity, medium term and long term open access including feasibility reports issued by concerned licensees, availability of transmission corridor, pending applications, and connectivity, medium term and long term open access granted and rejected;
- (vi) Facilitate generation of periodic reports for market monitoring and surveillance;
- (vii) Facilitate any other functions incidental to connectivity, medium term and long term open access as required by STU under these regulations, and
- (viii) Facilitate any other functions, as directed by the Commission from time to time.

1A-2 STU shall be responsible for developing and maintaining UPSTU-R.

15.2 Two new provisos shall be added to Regulation 2.1 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“Provided that an application for medium term green energy open access complete in all respect shall be submitted on the GOAR Portal and the same shall get routed to STU for grant of medium term green energy open access:

Provided further that such application for grant of medium term green energy open access shall contain the declarations by the customer that necessary infrastructure for time-block wise metering and accounting in accordance with the provisions of UPEGC / IEGC and appropriate communication system in accordance with the provisions of CEA Communication Regulations are in place for the point of injection & point of drawal and that there is a valid contract for the proposed scheduling.”

15.3 A new Regulation, namely, Regulation 2.1A shall be added after Regulation 2.1 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“2.1A STU shall conduct a preliminary scrutiny to ensure application is complete in all respects. In case of any discrepancy / shortcoming / requirement of any further information, STU shall intimate the customer for rectification of the deficiency within a period of seven (7) working days from the date of receipt of application.”

15.4 A new proviso shall be added to clause (ii) of Regulation 2.2 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“Provided that an application for medium term green energy open access shall be submitted at least forty five (45) days in advance.”

15.5 Proviso to Regulation 2.3 of Schedule-A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Application shall be accompanied by non-refundable application fee by RTGS/NEFT/IMPS or through any other mode of digital payment in favour of the Officer as notified by STU payable at Lucknow.”

15.6 A new proviso shall be added at the end of Regulation 2.3 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“Provided that in case of green energy open access consumers intending to avail open access through Lead GEOA Consumer, the non-refundable application fee shall have to be paid by all the individual GEOA Consumers cumulatively.”

15.7 A “Note” shall be added in last under Regulation 2.3 as under:

“**Note:** Application fee shall be paid along with applicable taxes, if any.”

15.8 In Regulation 3.1 of Schedule-A of the Principal Regulations, the sentence “and not later than seven days” shall be deleted.

15.9 A new proviso shall be added to Regulation 3.1 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“Provided that for medium term green energy open access, such feasibility reports shall be submitted by the transmission licensee and/or distribution licensee to STU within fifteen (15) days.”

15.10 A new proviso shall be added to clause (iii) of Regulation 4.1 of Schedule-A of the Principal Regulations as under:

“Provided that in case of medium term green energy open access, STU shall confirm grant of open access within thirty (30) days from the date of receipt of the application with direction to the customer to enter into BPTA and/or BPWA with concerned transmission licensee and/or distribution licensee within fifteen (15) days.”

16. Amendment to Schedule-A (Procedure for Long-Term and Medium-Term Open Access) and Schedule-B (Procedure for Short-Term Open Access) of the Principal Regulations:

16.1 The words “consumers with contracted demand of more than 1 MW” shall be substituted with the words “Open Access Consumers” in Regulation 6.2 of Schedule-A and Regulation 7.7 of Schedule-B of the Principal Regulations.

17. Amendment to Schedule-B (Procedure for Short-Term Open Access) of the Principal Regulations:

17.1 New Regulation 1A: UPSLDC Registry:

A new Regulation, namely Regulation 1A shall be added after Regulation 1 of Schedule-B of the Principal Regulations as under:

“1A. UPSLDC Registry–

1A-1 The registration and short term open access applications shall be applied and processed through single window unified electronic platform, namely, UPSLDC Registry (UPSLDC-R) which shall:

- (i) Provide the audit trail of registration applications;
- (ii) Provide the audit trail of short term open access applications;
- (iii) Provide an interface with the software of STU / any other transmission licensee and distribution licensees for processing/validation of concurrence;
- (iv) Provide a payment gateway for making payments related to short term open access;
- (v) Provide Dash Board facility with real time information to STU / any other transmission licensee and distribution licensees and act as a repository of information related to short term open access including concurrence issued by STU / any other transmission licensee and/or distribution licensees, availability of transmission corridor, pending applications, and short term open access granted and rejected;
- (vi) Facilitate generation of periodic reports for market monitoring and surveillance;
- (vii) Facilitate any other functions incidental to short term open access as required by SLDC, and
- (viii) Facilitate any other functions, as directed by the Commission from time to time.

1A-2 SLDC shall be responsible for developing and maintaining UPSLDC-R.

17.2 Regulation 2, Regulation 3, Regulation 4 and Regulation 5 of Schedule-B of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“2. Registration with SLDC–

2.1 The injecting entity/ drawee entity shall apply for ‘Registration’ on format [FORMAT-ST11] with SLDC. The format of ST-11 may preferably be in line with the existing entity registration under National Open Access Registry (NOAR) Portal of National Load Despatch Centre. The registration charges will be as specified in UPERC (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2020 as amended from time to time or as specified in any order of the Commission. Such injecting entity/ drawee entity shall declare that necessary infrastructure for time-block wise metering and accounting in accordance with the provisions of UPEGC / IEGC and appropriate communication system in accordance with the provisions of CEA Communication Regulations are in place for the point of injection/ point of drawal, as the case may be. Any new entity shall obtain connectivity to the intra-State transmission system and/or distribution system as per the applicable UPERC Regulations prior to making an application for registration:

Provided that in case of green energy open access consumers intending registration through Lead GEOA Consumer, the registration charges shall have to be paid by all the individual green energy open access consumers cumulatively.

- 2.2 An automatic request for concurrence from STU / any other transmission licensee and/or distribution licensee concerned for the point of injection / point of drawal, as the case may be, shall be forwarded on formats [FORMAT-ST12(A)/ (B)] through UPSLDC-R.STU / any other transmission licensee and/or distribution licensee shall convey his concurrence or otherwise on formats [FORMAT-ST13(A)/ (B)] through UPSLDC-R to SLDC within seven (7) working days for such injection/ drawal quantum during the stated period:

Provided that in case of rejection of request for concurrence, STU / any other transmission licensee or distribution licensee shall convey reasons on UPSLDC-R. SLDC may seek clarification from the concerned licensee and take appropriate decision as deemed appropriate.

- 2.3 SLDC shall conduct a preliminary scrutiny to ensure application is complete in all respects. In case of any discrepancy/ short coming/ requirement of any further information, SLDC shall intimate concerned entity for rectification of the deficiency within a period of two (2) working days from the date of receipt of FORMAT-ST11 through UPSLDC-R. The injecting entity / drawee entity, as the case may be, shall rectify the deficiency within five (5) working days thereafter, failing which the registration application shall be closed and the registration charges shall be forfeited. SLDC shall convey acceptance of registration or otherwise in FORMAT-ST12 to the injecting entity/ drawee entity, as the case may be, within fifteen (15) working days from the date of receipt of application complete in all respect including receipt of required concurrences. The registration will be valid for a period of one (1) year and may be renewed there after for a period of one (1) year after obtaining concurrence of STU/ any other transmission licensee and/or distribution licensee by such injecting entity/ drawee entity. The concerned entity shall initiate the process of renewal at least three (3) months in advance, to avoid any discontinuity:

Provided that in case there is any material change with regard to the quantum of power to be inter changed (by more than five (5) percent) using the intra-State transmission and/or distribution system, a fresh registration shall be obtained under these regulations.

- 2.4 The registration of injecting entity/ drawee entity is aimed at recording basic inputs on the basis of which technical/ operational constraints in transmission and/or distribution system shall be assessed by SLDC be for epermitting open access. It should not be mistaken as agrant/guarantee of short term open access.
- 2.5 “Concurrence” shall mean in principle consent for allowing use of transmission and/or distribution system during a stated period after due verification of spare capacity, any technical/ operational constraint and availability of necessary infrastructure for time-block wise metering and accounting and appropriate communication system. The concurrence shall be applicable for stated injection quantum or drawal quantum, as the case may be, during the stated period.
- 2.6 The injecting entity/ drawee entity shall ensure that all details are correct, failing which the registration may be cancelled/ denied by SLDC:

Provided further that in case of any change in the information provided by the entity, it shall be incumbent upon the entity to update the information with SLDC.

3. Registration with GOAR Portal in case of Green Energy Open Access-

- 3.1 The entity shall obtain registration with SLDC under Regulation 2 of Schedule-B through UPSLDC-R prior to making an application for registration in GOAR Portal as per CERC Regulations/ CNA procedure as applicable.

4. Application for Grant of Short-Term Open Access–

4.1 The short-term open access customer (hereinafter referred to as “customer”) intending to avail short term open access shall make an application for a specified quantum and specified time period on format [FORMAT-ST1] with SLDC:

Provided that an application for green energy open access complete in all respect shall be submitted on the GOAR Portal and the same shall get routed to SLDC on UPSLDC-R for grant of short-term green energy open access.

4.2 The customer seeking short term open access shall submit an undertaking that there is a valid contract for the said open access / proposed scheduling and not having entered into power purchase agreement or any other bilateral agreement with more than one person for the capacity (quantum of power) for which short term open access is sought:

Provided that tied up un-requisitioned capacity and untied capacity shall be eligible for proposed scheduling and accordingly shall be considered while granting short term open access.

4.3 Application shall be accompanied by non-refundable application fee of Rs. 5,000/- (or as determined by the Commission from time to time by an order) along with applicable taxes by RTGS/NEFT/IMPS or through any other mode of digital payment in favour of the Officer as notified by SLDC payable at Lucknow. In case of default in payment application fee, SLDC shall reject the application.;

Provided that in case of green energy open access consumers intending to avail open access through Lead GEOA Consumer, the application fee shall have to be paid by all the individual green energy open access consumers cumulatively.

4.4 Application for grant of short term open access may be made under any of the following categories:

4.4.1 Advance application:

- (a) Application made on the (D) day for grant of open access starting on or after the (D+3) day, which may fall either in the same month as the (D) day or in the subsequent month.
- (b) Scheduling request under Advance application category shall be made on day ahead basis. The revision in schedule shall be as per UPEGC / IEGC.

4.4.2 Exigency application:

- (a) An application for grant of open access with scheduling for such capacity shall be received by SLDC within two days prior to the date of scheduling but not later than 1300 Hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead transaction.

For example, open access application with scheduling for 25th day of July shall be received on 23rd day or up to 1300 hours on 24th day of that month.

- (b) Application with scheduling received after 1300 Hours of (S-1) day or in the (S) day shall be processed within 8-time blocks.
- (c) Short term open access granted under Exigency application category shall be considered as scheduled, which cannot be revised.

5. Grant of Short-Term Open Access by Nodal Agency–

5.1 SLDC shall check open access transaction for congestion of any element (line and transformer) of transmission and/or distribution system involved in transaction and accordingly permit open access, if there is sufficient spare capacity available in transmission and/or distribution system without any system strengthening.

5.2 SLDC shall convey grant of open access or otherwise on format [FORMAT-ST2] to the customer as per timelines stipulated below.

5.2.1 Advance application:

Advance application for short-term open access shall be considered on first-come-first served basis and shall be processed latest by 23:59 hrs of the (D+1) day, ‘D’ being the date of making the application:

Provided that in case the Nodal Agency fails to process the advance application for grant of green energy open access within the above specified timeline, the same shall be deemed to have been granted subject to the fulfilment of the technical / operational requirements and conditions as specified under these Regulations.

5.2.2 Exigency application:

Exigency application for short term open access with the schedule for (S) day shall be processed as under:

- (a) Application received till 1300 hrs of (S-1) day shall be processed after 1300 hrs on (S-1) day on first-come-first-served basis, and shall be finalised by 1500 hrs of (S-1) day.
- (b) Application received after 1300 hrs of (S-1) day or in the (S) day shall be processed within 8-time blocks, on first-come-first-served basis.

5.3 In the event of rejection of application for grant of open access, SLDC shall give reasons for such rejection to the customer in writing:

5.4 In the event short term open access as applied for, cannot be granted for full quantum and full period as sought in the application, in view of constraints in transmission system and/or distribution system, the application shall be rejected:

Provided that in case the customer has given consent in its application that open access for part quantum or part period or both may be granted to it, short-term open access for such part quantum and part period or both shall be granted as per available transmission and/or distribution capacity.”

17.3 The word “operational” shall be substituted with the words “technical / operational” at two places in Regulation 7.8 of Schedule-B of the Principal Regulations.

By Order of the Commission,
SHAIENDRA GAUR,
Secretary.